छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-23

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2014

(फाल्गुन-6, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने जगदलपुर सी.एस.पी के आत्महत्या के प्रकरण में शासन से वक्तव्य की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि प्रश्नकाल के पश्चात् इस पर गृह मंत्री वक्तक्य देंगे।

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 07 से 11 एवं 13 से 17 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 06 एवं 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा एवं राजू सिंह क्षत्री अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित **1** तारांकित एवं 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वक्तव्य

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने श्री देवनारायण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर की आत्महत्या के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2013 का समाप्त वर्ष के लिए-

(i) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन,

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4) छत्तीसगढ़ शासन एवं

(iii) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-5) छत्तीसगढ़ शासन,

(2) छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का दशम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12,

(3) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013) **पटल पर रखे।**

4.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक 2 एवं 3 में पत्रकारों एवं विधान सभा के अधिकारियो/कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था है। माननीय सदस्यों के लिए भी लॉबी स्थित विधायक कक्ष में आधार कार्ड बनवाने हेतु व्यवस्था आज भी है। कृपया इस सुविधा का लाभ लें।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 37 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री जनकराम वर्मा, सदस्य ने जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में अव्यवस्था होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, लखेश्वर बघेल, चिंतामणी महाराज (अनुपस्थित), सदस्य ने इंजीनियरिंग कालेजों में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को मानदेय भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(3)	श्री सत्यनारायण शर्मा
(4)	श्री देवजी भाई पटेल
(5)	श्री उमेश पटेल
(7)	श्री मोतीलाल देवांगन
(8)	सर्वश्री लखेश्वर बघेल, शंकर ध्रुवा
(9)	सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा
(10)	श्री मोतीलाल देवांगन
(11)	सर्वश्री सियाराम कौशिक, लखेश्वर बघेल
(12)	श्री अमरजीत भगत
(13)	श्री श्यामलाल कंवर
(14)	श्रीमती अनिला भेंडिया
(15)	श्री मोहन मरकाम
(17)	श्री मोतीलाल देवांगन
(19)	सर्वश्री लखेश्वर बघेल, मोहन मरकाम
(20)	श्री लखेश्वर बघेल
(21)	श्री लखेश्वर बघेल
(22)	सर्वश्री लखेश्वर बघेल, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), अरूण वोरा
(23)	श्री बृहस्पत सिंह
(24)	श्रीमती अनिला भेंडिया
(25)	सर्वश्री शिवरतन शर्मा, भोलाराम साहू
(26)	श्री देवजी भाई पटेल
(27)	श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(29)	श्री मोतीलाल देवांगन
(30)	श्री मोतीलाल देवांगन
(33)	श्री मोतीलाल देवांगन
(34)	श्री मोतीलाल देवांगन
(35)	सर्वश्री अरूण वोरा, बृहस्पत सिंह

6. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अरूण वोरा

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्री मोतीलाल देवांगन

(4) श्री श्रीचंद सुंदरानी

(5) श्री गिरवर जंघेल

(6) श्री देवजी भाई पटेल

(7) श्री उमेश पटेल

(8) श्री चिंतामणी महाराज

7.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री श्यामलाल कंवर

(2) डॉ.खिलावन साहू

(3) श्रीमती अनिला भेंडिया

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23(2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज पुर:स्थापन, विचार तथा पारण की अनुमति प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

श्री धनेन्द्र साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, (डॉ.) विमल चोपड़ा, नवीन मारकण्डेय, सियाराम कौशिक, राजमहंत सांवलाराम डाहरे एवं श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 158 के उप नियम (2) को शिथिल करते हुए विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तथा कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृहस्पत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री लाभचंद बाफना।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(4) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, देवजी भाई पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमरजीत भगत, लाभचंद बाफना।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

10. नियम - 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के परन्तुक के अंतर्गत

(1) माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री मनोज सिंह मण्डावी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 08.01.2014 को प्रथम दृष्टया मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(2) माननीय सदस्य, श्री संतोष बाफना एवं श्री नवीन मारकण्डेय द्वारा माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 03.02.2014 एवं सूचना पर संबंधित से प्राप्त टिप्पणी पर विचारोपरांत मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

11. नियम-239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री बृहस्पत सिंह द्वारा, बलरामपुर रामानुजगंज, के जिलाधीश डॉ. सी.आर. प्रसन्ना के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 21/02/2014 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

12. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये क्रमशः 9–9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं, चूँकि तीनों समितियों के लिये क्रमशः 9–9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना हैं, अतः मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूँ :–

लोक लेखा समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री दयालदास बघेल
3. श्री शिवरतन शर्मा

4. श्री राजू सिंह क्षत्री
5. श्री भईयालाल राजवाड़े
6. श्री टी.एस.सिंहदेव
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री भूपेश बघेल
9. श्री अमित अजीत जोगी

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. श्री संतोष बाफना
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री महेश गागड़ा
5. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
6. श्री अमरजीत भगत
7. श्री अरूण वोरा
8. श्री भैयाराम सिन्हा
9. डॉ. प्रीतम राम

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री अवधेश सिंह चंदेल
4. श्री लाभचंद बाफना
5. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी
6. श्री धनेन्द्र साहू
7. श्री मोतीलाल देवांगन

8. श्री जयसिंह अग्रवाल
9. श्री उमेश पटेल

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 09 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, अतः मैं, निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूँ :—

1. श्री विक्रम उसेंडी
2. श्री महेश गागड़ा
3. डॉ. खिलावन साहू
4. श्री नवीन मारकण्डेय
5. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री लखेश्वर बघेल
8. श्री दिलीप लहरिया
9. श्री भोलाराम साहू

श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

14. नाम—निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 233(1), 234—ग , 234—घ(2) एवं 234—ज (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2014—2015 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूँ :—

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री श्रीचंद सुंदरानी
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्री शिवशंकर पैंकरा
4. श्री अशोक साहू
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री पारसनाथ राजवाड़े
7. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री विद्यारतन भसीन
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री केशव चन्द्रा
5. श्री अमरजीत भगत
6. श्री सियाराम कौशिक
7. श्री मोहन मरकाम

श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री लखन देवांगन
2. श्री रामलाल चौहान
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री तोखन साहू
5. श्री श्यामलाल कंवर

6. श्री राजेन्द्र कुमार राय
7. श्री लालजीत सिंह राठिया

श्री लखन देवांगन, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. डॉ. सनम जांगड़े
3. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया
4. श्री गोवर्धन सिंह मांझी
5. श्री गिरवर जंघेल
6. श्री शंकर ध्रुवा
7. श्री संतराम नेताम

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री महेश गागड़ा
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री लखन देवांगन
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री रामदयाल उइके
7. श्री मनोज सिंह मंडावी

श्री महेश गागड़ा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री रोहित कुमार साय
2. श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स

3. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी
4. श्री दीपक बैज
5. श्री दलेश्वर साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

पुस्तकालय समिति

1. श्री अम्बेश जांगड़े
2. श्री रोशनलाल
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी
5. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
6. श्री खेलसाय सिंह
7. श्री उमेश पटेल

श्री अम्बेश जांगड़े, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री श्यामबिहारी जायसवाल
2. श्री अशोक साहू
3. श्री नवीन मारकण्डेय
4. श्रीमती चंपादेवी पावले
5. श्री अमित अजीत जोगी
6. श्री अरूण वोरा
7. श्री गुरूमुख सिंह होरा

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री रोशनलाल
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री राजशरण भगत
5. श्री बृहस्पत सिंह
6. श्री भैयाराम सिन्हा
7. श्री खेलसाय सिंह

श्री रोशनलाल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
2. श्रीमती केराबाई मनहर
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री चिंतामणी महाराज
5. श्री जनकराम वर्मा
6. श्री भोलाराम साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

15. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234–च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2014–2016 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम–निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति की सभापति को नियुक्त करता हूँ :–

1. श्रीमती सरोजनी बंजारे
2. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी
3. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया
4. श्री अवधेश सिंह चंदेल
5. श्री तोखन साहू
6. श्री उमेश पटेल
7. श्रीमती अनिला भेंड़िया
8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
9. श्रीमती देवती कर्मा

श्रीमती सरोजनी बंजारे, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

16 सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2014–2015 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम–निर्दिष्ट करता हूँ :–

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री बद्रीधर दीवान
6. श्री विक्रम उसेंडी
7. श्री श्रीचंद सुंदरानी
8. श्री विद्यारतन भसीन
9. श्री लखन देवांगन
10. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
11. श्री महेश गागड़ा
12. श्री अम्बेश जांगड़े
13. श्री श्याम बिहारी जायसवाल

14. श्री रोशनलाल
15. श्री दयालदास बघेल
16. श्रीमती सरोजनी बंजारे
17. श्री देवजी भाई पटेल
18. श्री संतोष बाफना
19. श्री सत्यनारायण शर्मा
20. श्री धनेन्द्र साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

17. राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ छत्तीसगढ़ शाखा की कार्यकारिणी का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ, छत्तीसगढ़ शाखा की कार्यकारिणी का गठन करते हुए निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य नामांकित किये गये हैं :-

1.	श्री गौरीशंकर अग्रवाल अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा	अध्यक्ष
2.	डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	उपाध्यक्ष
3.	श्री टी.एस.सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा	उपाध्यक्ष
4.	श्री अजय चन्द्राकर संसदीय कार्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
5.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	सदस्य
6.	श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय	सदस्य
7.	श्री रामसेवक पैकरा	सदस्य
8.	श्री सत्यनारायण शर्मा	सदस्य
9.	श्री अमर अग्रवाल	सदस्य
10.	श्री राजेश मूणत	सदस्य

11.	श्री देवजी भाई पटेल	सदस्य
12.	श्री शिवरतन शर्मा	सदस्य
13.	श्री धनेन्द्र साहू	सदस्य
14.	श्री रामदयाल उईके	सदस्य
15.	श्री नवीन मारकण्डेय	सदस्य
16.	श्रीमती रूपकुमारी चौधरी	सदस्य
17.	श्री बृहस्पत सिंह	सदस्य
18.	श्री उमेश पटेल	सदस्य
19.	श्री अमित अजीत जोगी	सदस्य
20.	डॉ.विमल चोपड़ा	सदस्य
21.	श्री केशव चन्द्रा	सदस्य

श्री देवेन्द्र वर्मा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, राष्ट्रकुल संसदीय संघ एवं भारतीय संसदीय संघ, छत्तीसगढ़ शाखा के कोषाध्यक्ष एवं पदेन सचिव रहेंगे।

18. पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत जारी अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-137 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं वर्ष 2014-15 के लिये निम्नानुसार प्रतिनिधियों को पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1.	श्री मोहन राव	दैनिक नवभारत	सभापति
2.	श्री शिव दुबे	दैनिक भास्कर	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. मिश्रा	दैनिक देशबंधु	सदस्य
4.	श्री भोलाराम सिन्हा	दैनिक नई दुनिया	सदस्य
5.	श्री बाबूलाल शर्मा	दैनिक अमृत संदेश	सदस्य
6.	श्री बृजेश द्विवेदी	दैनिक हरिभूमि	सदस्य
7.	श्री शशांक शर्मा	स्वदेश	सदस्य
8.	श्री राजा दास	द हितवाद	सदस्य

09.	श्री समीर शुक्ला	सेन्ट्रल क्रानिकल	सदस्य
10.	श्री चन्द्रभूषण मिश्रा	छत्तीसगढ़	सदस्य
11.	श्री रविकांत कौशिक	प्रखर समाचार	सदस्य
12.	श्री जोसेफ पी. जान	द टाईम्स ऑफ इंडिया	सदस्य
13.	श्री गोपाल वोरा	लोकमत समाचार	सदस्य
14.	श्री प्रकाश होता	ई.टी.वी. (म.प्र./छ.ग.)	सदस्य
15.	श्री धनवेन्द्र जायसवाल	आई.बी.सी.-24 घंटे	सदस्य
16.	श्री प्रवीण सिंह	सहारा समय (म.प्र./छ.ग.)	सदस्य
17.	श्री संजय शेखर	इंडिया न्यूज (म.प्र./छ.ग.)	सदस्य
18.	श्री आशीष तिवारी	बंसल न्यूज	सदस्य
19.	श्री अभिषेक झा	जी न्यूज (म.प्र./छ.ग.)	सदस्य
20.	श्री सुनील नामदेव	आज तक	सदस्य
21.	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी	ए.बी.पी. न्यूज	सदस्य
22.	श्री संजीव गुप्ता	भाषा	सदस्य
23.	श्री सतीश साहू	यू.एन.आई.	सदस्य
24.	श्री विकल्प शुक्ला	आकाशवाणी, रायपुर	सदस्य
25.	श्री राघवेश पाण्डेय	दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर	सदस्य

निदेशक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, आयुक्त, जनसम्पर्क पदेन सदस्य एवं प्रमुख सचिव, विधानसभा, पदेन प्रमुख सचिव होंगे।

19. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधानसभा के प्रथम सत्र का आज अंतिम दिवस है। विधानसभा का वर्तमान सत्र दिनांक 6 जनवरी, 2014 से माननीय सदस्यों को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शपथ दिलाने एवं माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन हेतु आरंभ हुआ और पश्चात् सभा के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप दिनांक 03 फरवरी से सत्र की बैठकें हुईं, जिसमें शासन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत किया और

माननीय सदस्यों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से सभा में चर्चा हेतु लोक-हित के विषयों को रखा।

छत्तीसगढ़ की इस चतुर्थ विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की संख्या 52 है, लेकिन मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि इन नव-निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों ने संसदीय परम्पराओं, प्रक्रियाओं एवं संसदीय व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को आधार बनाकर जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, वह प्रशंसनीय है और मैं उन्हें ह्दय से बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल संसदीय जीवन की कामना करता हूं।

इस चतुर्थ विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाली महिला सदस्यों की संख्या 10 है। मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं तथा सत्र की बैठकों में उनकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक महिला सदस्य अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुई हैं।

इस चतुर्थ विधानसभा का स्वरूप तृतीय विधानसभा से एकदम भिन्न है। यही कारण है कि एक अवसर पर इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य ने अपने भाषण के दौरान यह कथन किया कि सभा में प्रथम बार निर्वाचित होकर आने वाले विधायकों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें बहुत अजीब महसूस होता है। इसके पीछे उनकी भावना वरिष्ठ पूर्व सदस्यों की अनुपस्थिति को प्रकट करना था, जो इस सभा में विगत अनेक वर्षों से निरंतर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किन्तु संसदीय प्रणाली में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिये, लिया जाने वाला फैसला ही विगत 65 वर्षों से संसदीय प्रणाली को मजबूती प्रदान कर रहा है।

इस सभा में जहाँ नव-निर्वाचित सदस्य बड़ी संख्या में हैं, वहीं ऐसे सदस्य भी हैं जो राज्य गठन के पूर्व से मध्यप्रदेश में प्रतिनिधित्व करते थे और आज भी इस सभा के सदस्य हैं, मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ संसदीय ज्ञान से नव-निर्वाचित माननीय सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से परिचित होंगे। मैं वरिष्ठ सदस्यों से भी यह अनुरोध करता हूँ कि वे नव-निर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने में अपना योगदान दें।

इस सत्र के दौरान दिनांक 1 एवं 2 फरवरी को संसदीय प्रक्रियाओं से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा की अध्यक्ष माननीया श्रीमती मीरा कुमार, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अरूण जेटली, राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष श्री रवि शंकर प्रसाद, मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉ. सीताशरण शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद माननीय श्री विक्रम वर्मा सहित इस छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छः बार निर्वाचित पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे, छः बार निर्वाचित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा ने माननीय सदस्यों को संसदीय प्रजातन्त्र, सभा में सदस्यों

द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों एवं विभिन्न संसदीय विषयों सहित अत्यंत लाभकारी विषयों पर सम्बोधित किया। मुझे विश्वास है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम से माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने में निश्चित तौर पर लाभ हुआ होगा।

जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में प्रदेश की यह सर्वोच्च पंचायत विचार-विमर्श का एकमात्र सशक्त स्थान है और सत्र की कुल 23 बैठकों में माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद का जो उत्कृष्ट परिचय दिया है और संसदीय संस्कारों की जो अभिव्यक्ति अपने आचरण एवं व्यवहार के माध्यम से सभा में प्रस्तुत की है, मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि यह सभा उच्च संसदीय मापदण्डों के प्रति निष्ठा एवं विश्वास के लिए अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगी।

सभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान एक-दो अवसरों पर इस सदन के नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं को सुदृढ़ बनाने एवं स्थापित करने के उद्देश्य से मुझे माननीय सदस्यों को निर्देशित भी करना पड़ा और माननीय सदस्यों ने मेरे निर्देशों का पालन कर मेरे प्रति जो विश्वास एवं संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभारी हूँ। साथ ही किसी भी सदस्य को ऐसे अवसरों पर यदि तनिक भी क्षोभ हुआ हो तो मैं दु:ख व्यक्त करता हूँ।

इस प्रथम सत्र के दौरान प्रत्येक सदस्य को संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत का संविधान के साथ छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली भी वितरित की गई है ताकि माननीय सदस्य यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हैं, संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में भी गहराई से परिचित हो सकें।

वर्तमान सत्र के दौरान इस सभा ने राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय श्री मोतीलाल वोरा एवं माननीय श्री रणविजय प्रताप सिंह जूदेव को भी निर्वाचित किया। मैं सदन की ओर से दोनों माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि नव-निर्वाचित राज्यसभा सदस्य राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र में कुल 23 बैठकों में माननीय राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 14 घंटे 10 मिनट चर्चा सहित कुल लगभग 134 घण्टे 48 मिनट चर्चा हुई। 23 बैठकों में 183 प्रश्न सभा में पूछे गए, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 11 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 1004 तारांकित प्रश्न एवं 625 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1629 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 595 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें 122 सूचनाएँ ग्राह्य हुई। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 160 सूचनाएँ प्राप्त हुई। शून्यकाल की 138 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 87 सूचनाएँ ग्राह्य और 51 सूचनाएँ अग्राह्य

रहीं। वर्तमान सत्र में 296 याचिकाएँ माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें 120 ग्राह्य , 77 अग्राह्य एवं 99 विचाराधीन है। माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएँ दी गई, जिनमें 6 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 2 संकल्प सदन में चर्चा उपरान्त स्वीकृत हुए। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयकों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरान्त पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घण्टे 7 मिनट, वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में 8 घण्टे 7 मिनट का समय लगा। जबकि अनुदान की मांगों पर 54 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 5 घण्टे 28 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्येश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रकाशन सायं 5.30 बजे से 6.30 बजे तक करने के साथ विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 132 पत्रकारगण एवं प्रतिनिधियों ने तथा 1188 छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग 11300 नागरिकों ने भी कार्यवाही देखी ।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव जी तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्चः ह्दय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया । दूरदर्शन आकाशवाणी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

मैं इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार जी की इस प्रदेश को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं का उल्लेख करना भी समीचीन समझता हूं ।

विगत लगभग 2 वर्षों में राज्य की विभिन्न योजनाओं एवं विधि के निर्माण तथा राज्य के विकास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है और समय-समय पर राज्य प्रशासन को उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है । मैं इस अवसर पर उनकी प्रशंसा करता हूं और उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व मेरी ओर से तथा सभा की ओर से उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए शुभकामनायें देता हूं ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परिपाटी है। आगामी सत्र जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से संभावित है ।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद! जय हिन्द! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्‍गार व्यक्त किये।

20. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

रात्रि 7.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा